फर्द अहकाम

कार्यालयः– न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

अनवानः– सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) बनाम ताराचन्द गुर्जर व अन्य

किस्म मुकदमाः– रसद पत्रावली संख्याः– 06/25

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनाएँ जारी की गई।

16.01.2025

पत्रावली पेश हुई। कृषि अधिकारी श्री महेश शर्मा एवं अधिवक्ता विपक्षीगण उपस्थित। कृषि अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि थानाधिकारी सवीना द्वारा दिनांक 13.12.2024 को दौराने नाकाबंदी वाहन ट्रेलर टाटा सिगमा 5530 एस जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर आर.जे.14 जी.पी. 9844 मय 840 बेग (42000 किलोग्राम) सस्पेक्टेड यूरिया डिटेन किया गया। सस्पेक्टेड यूरिया से सेम्पल लेकर राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला उदयपुर जांच कराई गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार Non Standard and Non-agriculture grade का यूरिया पाया गया। विपणन एवं उत्पादन संदेहास्पद होने से थानाधिकारी सवीना को जांच हेतु लिखा गया, जिसकी रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। यूरिया Non Standard and Non-agriculture grade का है जो कि उर्वरक(नियंत्रण) आदेश 1985 के अन्तर्गत नही आता है। अतः माल व वाहन रिलीज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा निवेदन किया गया कि जब्त यूरिया Non Standard and Non-agriculture grade का है जो उर्वरक(नियंत्रण) आदेश 1985 में नहीं आता है। विपणन एवं उत्पादन के संबंध में भी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिससे स्पष्ट है कि उत्पादन एवं विपणन सही था अतः जब्त वाहन ट्रेलर टाटा सिगमा 5530 एस जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर आर.जे.14 जी.पी. 9844 मय 840 बेग (42000 किलोग्राम) यूरिया को रिलीज करने का आदेश फरमावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, जांच रिपोर्ट एवं कृषि अधिकारी की अनापत्ति कि जब्त यूरिया Non Standard and Non-agriculture grade का है जो उर्वरक(नियंत्रण) आदेश 1985 के अन्तर्गत नहीं आता है अतः माल व वाहन रिलीज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है एवं पत्रावली पर उपलब्ध थानाधिकारी सवीना की रिपोर्ट दिनांक 13.01.2025 अनुसार उक्त यूरिया दिनांक 25.01.2024 को यूनाईटेड अरब अमीरात से आया हुआ है जिसका वाउचर संलग्न है जो श्री ट्रेडर्स द्वारा दिनांक 20.09.2024 को टीटीएस कम्पनी को बेचना बताया है। टीटीएस कंपनी द्वारा उक्त माल दिनांक 12.12.2024 को ट्रक नम्बर आर जे 14 जीपी 9844 से हिक्स

जिला कलक्टर
उदयपुर

टेमेक्स रोहिणी दिल्ली को भेजने का ई–वे बिल संलग्न है। उक्त आधार पर जब्त वाहन ट्रेलर टाटा सिगमा 5530 एस जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर आर.जे.14 जी.पी. 9844 मय 840 बेग (42000 किलोग्राम) यूरिया को रिलीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः जब्त वाहन ट्रेलर टाटा सिगमा 5530 एस जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर आर.जे.14 जी.पी. 9844 को उसके पंजीकृत वाहन स्वामी श्री ताराचन्द गुर्जर को एवं जब्त यूरिया 840 बेग (42000 किलोग्राम) को माल स्वामी श्री कुन्दन मिश्रा को सुपूर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश की पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना सवीना को पालनार्थ एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) उपजिला गिर्वा, उदयपुर को सूचनार्थ लिखा जावे।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर